न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 127/2026 पुलिस थाना जामडोली जयपुर पूर्व
जमानत आवेदन संख्या : 84/2026
सी.आई.एस. नं. : 82/2026

हनुमान मीना पुत्र स्व. बाबूलाल मीणा, उम्र 22 साल, निवासी– ग्राम सुमेल, आगरा रोड, थाना जामडोली, जयपुर पूर्व।

.....अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

: आदेश : दिनांक : 23.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस. के अधीन दिनांक 15.04.2026 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15 बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा अस्वीकार किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी गोकुलचन्द एएसआई ने मय फर्दात एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि दिनांक 08.03.2026 को समय 2.50 पीएम पर मय जाब्ता टोयटो शोरूम पर पहुंचने पर मुखबिर खास से मिली सूचनानुसार गणेशजी मंदिर जामडोली वाली रोड सिल्वन पार्क के पश्चिम द्वार के सामने पहुंचे तो सूचनानुसार बताए गए दो शख्स दीवार के पास खडे दिखाई दिए जो बावर्दी पुलिस जाब्ता मय पुलिस वाहन को देखकर जाने लगे, जिन्हें हमराही जाब्ता द्वारा रोककर नाम पूछा तो एक शख्स ने अपना नाम हनुमान मीना व दूसरे ने अपना नाम शिवनारायण उर्फ करूवा उर्फ कहुवा बताया। दोनों को चैक करने

पर हनुमान मीना से एक पिस्टल व एक जिंदा कारतूस तथा शिवनारायण से एक रिवॉल्वर व एक जिंदा कारतूस मिला, जिस पर शख्सान से इन्हें अपने–अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत् लाईसेंस अनुज्ञापन के बारे में पूछा तो उन्होनें अपने पास कोई लाइसेंस/अनुज्ञा–पत्र नहीं होना बताया। इस प्रकार उक्त शख्सान द्वारा अवैध रूप से हथियार व जिंदा कारतूस अपने कब्जे में रखना तथा परिवहन करना धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध होना पाया गया.....इत्यादि। तत्पश्चात् पुलिस थाना जामडोली, जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की गई है, ना ही अपराध कारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण में सह–अभियुक्त शिवनारायण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही होना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त की चल–अचल सम्पत्ति उसके निवास स्थान पर है जिससे उसके मफरूर होने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के उपरोक्त कथनों का विरोध किया गया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त हनुमान मीना के विरूद्ध **आपराधिक रिकॉर्ड** निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	प्र0 सं0	थाना	धारा	नतीजा
1.	889/2019	कानोता	19/54 राज0 आबकारी अधिनियम	285/2019
2.	291/2020	कानोता	328, 341, 504, 279, 506 भा.द.स.	209/2020
3.	20/2021	कानोता	8/20, 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट	24/2021
4.	817/2022	कानोता	323, 341, 504, 506, 427, 325, 34 भा.द.स.	408/2022
5.	943/2022	कानोता	19/54 राज0 आबकारी अधिनियम	390/2022

6. केस डायरी का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि मुलजिम पर बिना वैध अनुज्ञा–पत्र के हथियार एवं जिन्दा कारतूस रखने एवं परिवहन करने का अभियोग है। यद्यपि अभियुक्त पर अन्य पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, किंतु अभियुक्त की दादी का देहान्त दिनांक 22.04.2026 को हो जाने

के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पृथक से शोक संदेश पेश किया गया है तथा प्रकरण के सह–अभियुक्त की पूर्व में जमानत हो चुकी है। वहीं फर्द जब्ती में यह अंकित है कि पिस्टल पर हल्की जंग लगी हुई है। इसके अतिरिक्त मुलजिम एक नवयुवक है एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। साथ ही मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मुलजिम का उक्त जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त हनुमान मीना पुत्र स्व. बाबूलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000– 25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक 23.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम